8906 28/2/14 — 8150 30/1/14

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या– 304/2013–14

नितिन झा बनाम दशरथ पासवान एवं 01 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

सुनवाई के पश्चात् अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया।

प्रस्तुत वाद में नितिन झा पिता– स्व0 शैलेन्द्र कुमार झा ग्राम– बिक्रमपुर बलिया थाना– सकरी जिला– मधुबनी आवेदक तथा (1) दशरथ पासवान पिता– स्व0 सरयुग पासवान (2) माछो देवी पति– कामो सिंह ग्राम– परमानन्दपुर अटहर टोला गोट थाना एवं अंचल– बहेड़ी जिला– दरभंगा विपक्षी सदस्य है। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में मौजा– परमानन्दपुर अटहर टोला गोट थाना एवं अंचल– बहेड़ी में अवस्थित अद्योलिखित ब्योरे की भूमि है :–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
60 पु0	1465 पु0	00–04–05	उत्तर– रामलखन साह
3116 नया	2448 नया 3134 नया		दक्षिण– शेखर झा
			पूरब– बच्चन साह
			पश्चिम– रोड

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक के वाद पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद की प्रविष्टि की दिनांक 19.07.2013 को की गई तथा विपक्षीयों को अपना उचित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26.07.2013 को निबंधित सूचना निर्गत की गई। सूचना पाकर विपक्षीगण कार्रवाई में उपस्थित हुए तथा अपनी ओर से उत्तर पत्र दाखिल किए हैं। आवेदक ने अपने वाद पत्र को साक्ष्य एवं शपथ पत्र से समर्थित करते हुए अधिनियम द्वारा निर्धारित शुल्क मो0 एक सौ रूपया फ्रेकिंग मशीन सं0– 3355 से दिनांक 15.07.2013 को जमा कर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। उभय पक्षों के दावे प्रतिदावे पर विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए वाद की विधिवत् सुनवाई पूर्ण की गई है।

आवेदक ने प्रश्नगत भूमि पर अपने अधिकार की घोषणा के साथ प्रश्नगत भूमि को demarcate कराने का

06/01/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अनुरोध करते हुए उल्लेख किया है कि प्रश्नगत खाता खेसरा का कुल रकवा 14 कट्ठा 05 धुर हैं जो सुशिल कुमार झा की जमीन थी जो अपने दो पुत्र (1) शैलेन्द्र कुमार झा एवं (2) शेखर झा को छोड़कर मर गये। शैलेन्द्र कुमार झा अपने तीन पुत्रों (1) आवेदक नितिन कुमार (2) संातनु झा एवं (3) संदीप झा को छोड़कर मर गये तथा शेखर झा ने उक्त भूमि में से 10 कट्ठा भूमि बयनामा कर दिया है, शेष 04 कट्ठा 05 धुर भूमि आवेदक एवं इनके भाईयों का दखल–कब्जा चला आ रहा है जिससे विपक्षीगण बेदखल करना चाहते हैं। आवेदक ने सुशील कुमार झा पिता– लक्ष्मीकान्त झा बिक्रमपुर बलिया के नाम Continious खतियान की छायाप्रति दाखिल किया है। विपक्षीयों की ओर से दाखिल objection petition एवं कागजातों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि शेखर कुमार झा पिता– स्व0 सुशिल कुमार झा ने विपक्षी दशरथ पासवान को प्रश्नगत खेसरा में मिलजुमले दो पार्ट में 10 कट्ठा भूमि दिनांक 21.02.2002 को बयनामा किया है जिसे आवेदक भी स्वीकार करते हैं। परन्तु विपक्षीयों का कहना है कि प्रश्नगत खेसरा में आवेदक के पिता को कोई हिस्सा नहीं मिला चुँकि इस ग्राम में सुशिल कुमार झा को 20 बिगहा से अधिक भूमि थी जिसमें उन्हें मिली थी तथा प्रश्नगत खेसरा में शैलेन्द्र कुमार झा को हिस्सा आवंटित नहीं हुआ। इस वाद में विपक्षी माछो देवी पति– कामो सिंह द्वारा लिखित बयनामा बनाम भोला साह दिनांक 11.08.12 एवं फुलदाई देवी पति– महेश पंडित दिनांक 10.05.11 क्रमशः 15 धुर एवं 01 कट्ठा उपलब्ध हैं जिसके अनुशीलन से स्पष्ट है कि दिनांक 21.02.2002 को दशरथ पासवान के साथ साथ शेखर कुमार झा ने माछो देवी को भी भूमि बयनामा किया था जिसका दस्तावेज सं0– 3736 था अर्थात दशरथ पासवान एवं माछो देवी के नाम 10 कट्ठा भूमि का एक हीं दस्तावेज था। अभिलेख पर दशरथ पासवान द्वारा लिखित बयनामा बनाम रेखा देवी 01 कट्ठा दिनांक 22.12.12, विष्णुदेव पंडित 01 कट्ठा दिनांक 26.02.13, मो0 मुस्तकिम 04 कट्ठा 05 धुर दिनांक 03.04.13, एवं बुच्ची देवी 01 कट्ठा दिनांक 22.12.12 उपलब्ध हैं जिससे विदित होता है कि आवेदक के कार्रवाई के पूर्व उक्त भूमि विपक्षीयों ने बिक्री कर दिया है तथा बचे 01 कट्ठा पर विपक्षी	

08/01/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	का आवासीय घर है। अर्थात शेखर कुमार झा द्वारा दिनांक 21.02.2002 का बिक्री की गई भूमि विवादित नहीं है। सुनने से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक तीनों भाईयों की बची है जिसे विपक्षी dispossess करना चाहते हैं, चुँकि आवेदक दुर के निवासी हैं और विपक्षीगण स्थानीय होने का नाजायज लाभ उठाना चाहते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि को demarcate कराने संबंधी आवेदक द्वारा माँगी गई अनुतोष जायज है। अतः अंचलाधिकारी बहेड़ी को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार सीमांकन वाद कायम कर आवेदक से अमानत शुल्क जमाकर प्रश्नगत भूमि को demarcate कराना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, बहेड़ी को अनुपालनार्थ भेजें। **लेखापित एव शुद्धित** 28/01/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 28/01/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	